न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 75/2019 वाद

1. कमलाशंकर पिता घनश्याम मेनारिया ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. चन्द्रप्रकाश पिता घनश्याम मेनारिया ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।

— वादीगण

//बनाम//

1. घनश्याम पिता गणपतलाल मेनारिया ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. कंचन पुत्री घनश्याम मेनारिया ब्राहमण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. संतोष पुत्री घनश्याम मेनारिया ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. पार्वती पुत्री घनश्याम मेनारिया ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

— प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता वादीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 21.08.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की खरीदशुदा आराजीयात वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 73 की आराजी नं. 253, 256, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 331 कुल किता 10 कुल रकबा 5.0200 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो पुश्तैनी आराजीयात है। इसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के यहां जन्म लेते ही बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित हो जाता है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी संख्या 1 का 1/6, वादी संख्या 2 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा निहित है। इसी अनुसार मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को मौके पर

काबिज अनुसार अपना अपना 1/6, 1/6 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे हैं तथा नाम पर कराने से इन्कार कर रहे हैं जबकि वादीगण पुश्तैनी भूमि में अपना 1/6, 1/6 हक हिस्सा दर्ज कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण के इन्कार करने के कारण मजबुर होकर यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 5 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं ईकबाली जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादी का दावा स्वीकार किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अधिवक्ता वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम भावलिया की खाता संख्या 73 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी संवत 2044-47 ग्राम भावलिया की खाता संख्या 43, नकल जमाबन्दी संवत 2056-59 ग्राम भावलिया की खाता संख्या 40 प्रदर्श-2, मिलान क्षेत्रफल ग्राम भावलिया प्रदर्श-3 प्रस्तुत किये हैं। मौखिक साक्ष्य में कमलाशंकर पिता घनश्याम मेनारिया पीडब्ल्यु-1, विजेन्द्र पिता अर्जुनलाल आचार्य ब्राह्मण पीडब्ल्यु-2, मोहनलाल पिता माना गायरी पीडब्ल्यु-3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा बयान करवाये हैं। प्रदर्श-1 वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विवादित भूमि घनश्यामलाल पिता गणतपलाल मेनारिया ब्राह्मण के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श-2 में विवादित भूमि गणपतलाल पिता डालचन्द ब्राह्मण निवासी भावलिया के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसकी ताईद मिलान क्षेत्रफल से भी होती है। मौखिक साक्ष्य में वादी एवं निष्पक्ष गवाहों ने भी वाद पत्र के कथनों की ताईद की है। प्रतिवादी संख्या 1 जो रेकार्डेड खातेदार हैं, बावजूद सूचना तामिल के न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ है। शेष प्रतिवादी संख्या 2 से 4 वादीगण की बहिनें होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 आपस में भाई बहिन है और प्रतिवादी संख्या 1 की जाईन्दा संतान हैं। विवादित भूमि पुश्तैनी है जो पूर्ण में गणपतलाल पिता डालचन्द मेनारिया के नाम दर्ज रेकार्ड थी और अब वर्तमान में घनश्यामलाल पिता गणपतलाल मेनारिया के नाम दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार पुश्तैनी भूमि भले ही पिता के नाम पर दर्ज रेकार्ड हो परन्तु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पुश्तैनी भूमि में सभी संतानों का भी बराबर, बराबर हक हिस्सा होता है। विवादित भूमि भी पुश्तैनी भूमि है जिसमें सभी संतानों का बराबर-बराबर हक हिस्सा बनता है। वादीगण अपने वाद को साबित करने में सफल रहा है। वादी का दावा डिक्री योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 73 की आराजी नं. 253, 256, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 331 कुल किता 10 कुल रकबा 5.0200 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 का 1/6, वादी संख्या 2 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 21.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 75/2019 वाद

1. कमलाशंकर पिता घनश्याम मेनारिया ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. चन्द्रप्रकाश पिता घनश्याम मेनारिया ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1. घनश्याम पिता गणपतलाल मेनारिया ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. कंचन पुत्री घनश्याम मेनारिया ब्राहमण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. संतोष पुत्री घनश्याम मेनारिया ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. पार्वती पुत्री घनश्याम मेनारिया ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 73 की आराजी नं. 253, 256, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 331 कुल किता 10 कुल रकबा 5.0200 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 का 1/6, वादी संख्या 2 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 21.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 14:57:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: